

G7 के वदेशि मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'ग्रुप ऑफ सेवन' (G7) देशों (अमेरिका, ब्रिटन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान) के वदेशि मंत्रियों की बैठक लंदन, ब्रिटन में संपन्न हुई।

- 47वाँ G7 शिखर सम्मेलन जून, 2021 में यूनाइटेड किंगडम की मेज़बानी में आयोजित किया जाएगा।

परमुख बडि:

बैठक के वषिय में:

- आमंत्रित अथति:
 - इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और [दक्षिण एशियाई कषेत्रीय सहयोग संगठन](#) (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN) के वर्तमान अध्यक्ष बुरुनेई दारुस्सलाम आदि के परमुख शामिल थे।
 - ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका जून में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
- वार्ता में शामिल मुद्दे:
 - रूस के गैर-ज़मिमेदाराना और अस्थिर व्यवहार: रूस द्वारा [युक्रेन](#) (Ukraine's) की सीमाओं पर अवैध रूप से अतिक्रमण, रूस द्वारा क्रीमिया में अपने सैन्य बलों को भेजने की कार्यवाही और वहाँ किये गए नरिमाण कार्यों पर चर्चा की गई।
 - चीन से संबंधित: [शनिजियांग](#) और तबिबत में चीन द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन और दुरुपयोग, वशिष रूप से उइगर और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को नशाना बनाने आदिपर भी चर्चा की गई।
 - चीन से [हॉंगकॉंग](#) (Hong Kong's) की उच्च स्वायत्तता और अधिकारों और स्वतंत्रता (बेसकि लॉ) का सम्मान करने का आह्वान किया गया।
 - इस दौरान म्याँमार में सैन्य तख्तापलट की भी नदि की गई।
 - **इंडो-पैसफिकि:**
 - साथ ही सम्मेलन में इंडो-पैसफिकि कषेत्र पर आसियान की केंद्रीयता का समर्थन किया गया।
 - एक स्वतंत्र और मुक्त इंडो-पैसफिकि के नरिमाण के महत्त्व को दोहराया गया, जो कसिमावेशी हो और कानून के शासन, लोकतांत्रिकि मूल्यों, कषेत्रीय अखंडता, पारदर्शिता, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा तथा वविादों शक्तियों के शांतपूरण समाधान पर आधारित हो।
 - **नयिम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था:**
 - इसे सभी देशों द्वारा समय के साथ वकिसति होने वाले सहमत के अनुसार अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु एक साझा परतबिद्धता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, कषेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था, व्यापार समझौते, आवरणन प्रोटोकॉल और सांस्कृतिक व्यवस्था आदि।

ग्रुप ऑफ सेवन (G7):



■ G7 के वषिय में:

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था।
- वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु इस समूह की बैठक वार्षिक रूप से संपन्न होती है।
- G7 का कोई नरिधारित संविधान या मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिये गए नरिणय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
 - चर्चा के लिये आरक्षित वषियों और अनुवर्ती बैठकों सहित शिखर सम्मेलन के तमाम महत्त्वपूर्ण कार्य "शेरपा" (Sherpas) द्वारा किये जाते हैं, जो आमतौर पर व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व या राजदूत होते हैं।
 - यूरोपीय संघ (European Union), आईएमएफ (IMF), वर्शिव बैंक (World Bank) और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जैसे महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है।

■ मुद्दा:

- वर्तमान में G7 में शामिल सभी देश सर्वाधिक उन्नत नहीं हैं। यद्यपि भारत सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर उन्नत कर रहा है फिर भी यह G7 का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तरह G7 में भी व्यापक बदलाव लाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

भारत और G7:

■ पूर्व भागीदारी:

- अगस्त 2019 में फ्रांस के बरिटिज में संपन्न हुए 45वें शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति एक प्रमुख आर्थिक एवं मज़बूत रणनीतिक साझेदारी को प्रतिबिंबित करती है।
- वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में भी भारत को आमंत्रित किया गया था, हालाँकि महामारी के कारण इस सम्मेलन का आयोजन नहीं किया सका।
- इससे पहले भारत ने वर्ष 2005 से वर्ष 2009 के मध्य कुल पाँच बार G8 (वर्ष 2014 में रूस के अलग होने के साथ इसे G7 कहा जाने लगा) शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।

■ G7 में भारत की भागीदारी का महत्त्व:

- यह भारत को विकासित देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।
- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से हिंद महासागर में सदस्य देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा।
- वर्तमान में ब्राज़ील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स (Brazil-Russia-India-China-South Africa- BRICS) के अध्यक्ष और वर्ष 2023 में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत, बेहतर वर्शिव के निर्माण हेतु बहुपक्षीय सहयोग में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

स्रोत: द हिंदू